न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 150/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
कन्हैयालाल पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झंवर तहसील लूनी जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 244/2019 अनवान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी बनाम जे.डी.ए.वमैरा मे दिनांक 30–12–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 1–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2071/1314 रकबा 10 बिस्वा गै.मु.बाडा वाके ग्राम झंवर तहसील लूनी जिला जोधपुर मे आई हुई है । जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज है तथा उपरोक्त भूमि की तरमीम भी प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लूनी द्वारा दिनांक 31–1–2017 को की गई । उपरोक्त भूमि के साथ ही खसरा नंबर 2070/1314 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम आई हुई है ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष तहसीलदार लूनी ने भू अभिलेख आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि के प्रावधानो के विपरीत अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2019 पारित करते हुए अपीलांट एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के अलग अलग खातो को एक करते हुए राजस्व नक्शे मे भी अपीलांट की भूमि की तरमीम हटा दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस मे कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी के खसरा नंबर

2071/1314 जिसकी तरमीम की अनुशंषा स्वयं रेस्पो0 तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–1–2017 को करते हुए राजस्व नक्शे मे तरमीम कर दी गई थी तथा विधिवत रूप से प्रार्थी का खाता अलग था तथा राजस्व नक्शे मे भी तरमीम थी परंतु बिना किसी कारण के अपीलांट के खातेदारी की भूमि का खाता जोधपुर विकास प्राधिकरण के साथ एकीकरण कर दिया एवं राजस्व नक्शे मे अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर की तरमीम को हटा दिया जबकि भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम मे तहत उपरोक्त प्रकार का एकीकरण एवं विलोपन नही किया जा सकता था और न ही धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत उपरोक्त प्रकार का आदेश पारित किया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट खातेदार को कोई सुनवाई का नोटिस या अवसर प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हो सकी तथा अपीलांट को जैसे ही उक्त आदेश की जानकारी हुई अविलंब अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश कर दी है इसलिए उक्त अपील को अंदर सुमार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2019 को निरस्त करने तथा अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर 2071/1314 रकबा 10 बिस्वा गै.मु.बाडा वाके ग्राम झंवर तहसील लूनी का खाता पुनः अलग किया जाकर राजस्व नक्शे मे पुनः तरमीम करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत तहसीलदार लूनी द्वारा विधिवत प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2019 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रक्रिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । वर्तमान अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांट ने अपने खातेदारी के खसरा नंबर 2071/1314 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु.बाडा की तरमीम कराने हेतु तहसीलदार लूनी के समक्ष आवेदन करने पर तहसीलदार लूनी स्वयं ने उनके आदेश कमांक भूअ/2017/179–80 दिनांक 31–1–17 के द्वारा निरीक्षक भू अभिलेख झंवर एवं पटवारी हल्का झंवर को प्रार्थी कन्हैयालाल के उक्त खातेदारी के रकबे की तरमीम कर पालना से अवगत कराने बाबत लिखा था । अथार्त नक्शे मे अपीलांट के खातेदारी के रकबे की तरमीम अलग से की हुई होते हुए उसी तहसीलदार लूनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये गये भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव तैयार कर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना अपीलांट खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये उसकी तरमीमसुदा रकबा को जोधपुर विकास प्राधिकरण जिसके खसरा नंबर 2070/1314 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि के साथ मिलाते हुए तरमीम कर दी, जिससे नये खसरा नंबर 2070/1314 तथा रकबा 21.00 बीघा कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्ताव मे अनुशंषा अनुसार रेकर्ड/खसरा दुरस्ती स्वीकार कर दी तथा रिकार्ड मे अंकन करने बाबत आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 1–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर